

D.O. = 17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज.)

प्रकरण संख्या 41/2017

गीता दरोगा बनाम खाला कुहाट वर्गीय
बिधारी लखपुर No मजुगाट

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री गीता दरोगा ने जरिह अपिक्ता
श्री M.K पडियाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे स्वत्व
खाते की भूमि ग्राम शाप्रथला प0ह0 मरथला तह0 माण्डलगढ में
खाला नो 18 की आरजी नो 91, 283/324 कुलकित 2
रकबा 6 बीघा - बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीयण आर
विवाद का लेवल जगडा फिसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर
साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आशान
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073 के अवलोकन से प्रार्थी
आरजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद का
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रमाण
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट. स्वीकार
ग्राम शाप्रथला की आरजी नो-खाला नो 18 आरजी नो 91, 283/324
रकबा 6 बीघा कुलकित 2 - बिस्वा - की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी
का आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया
कमीशनर फीस 300 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मीके पर अद जना
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालिनापत्र
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।